

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-37/2019-20

1. मनोरमा देवी, पति-संजय कुमार गुप्ता,
सा०-न्यू काँची पेराईडीह, थाना-तमाड़ जिला-राँची।.....अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू।.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-175 R27/2018-2019 में दिनांक-16.11.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	09	2519	5.62 डिसमील
				2521	0.28 डिसमील

बिक्री वाली भूमि की चौहदी:- उ०-10 फीट का प्रस्तावित रास्ता, द०-प्रकाश चेल,
प०-हाल क्रेता हेमलता देवी, प०-10 फीट का प्रस्तावित रास्ता।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-175 R27/2018-2019 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि का ऑनलाईन खेसरा विवरण उपलब्ध नहीं है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करते हुए ऑनलाईन खेसरा संधारित कर नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

1120(ii)/170
31.12.2020

19.11.2020